

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 533 सन 2019

अनवान :-

1. सावित्री देवी उर्फ गुडडी पुत्री रामप्रताप पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना हाल निवासी कान्हेवाला वार्ड संख्या 5 तहसील व जिला मानसा ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश 2. पप्पू पि0 रामप्रताप जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
- 3 जमना पुत्री रामप्रताप पत्नी अमरसिंह जाति जाट साकिन कान्हेवाला तह. मानसा प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री हरिसिंह अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 13.3.20

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 9 केएनएन के प0न0 333/379(15) के किला न0 15 प0न0 334/379(16) के किला न0 6 से 9 ,11 से 15 कुल 2.5304हैक् भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसमें वादीया का नाम गुडडी दर्ज है।

वादिया पूर्व में गांव फेफाना में निवास करती थी जहाँ उसे गुडडी के नाम से पुकारते थे बडी होने पर वादिया की शादि हो गई शादि के बाद सुसराल वालों ने वादिया का नाम सावित्री रख दिया और समस्त कागजातों में सावित्री नाम अंकित हो गया।

वादिया के समस्त दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड , पहचान पत्र , राशन कार्ड , आदि में वादिया का नाम सावित्री दर्ज है।

वादिया के पिता का देहान्त होने पर मेरे व भाईयों व बहन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम विरास्तन नामान्तकरण दर्ज हुआ तो राजस्व रिकार्ड में गुडडी दर्ज हो गया जबकि अन्य दस्तावेजात में वादिया का नाम सावित्री दर्ज है वादीया का राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादिया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 9 केएनएन के प0न0 333/379(15) के किला न0 15 प0न0 334/379(16) के किला न0 6 से 9 ,11 से 15 कुल 2.5304हैक् में वादीया का नाम गुडडी दर्ज है के स्थान पर सावित्रीदेवी उर्फ गुडडी संशोधन किये जाने के आदेश फरमावे।

वादिया का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिय सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 को सम्मन की तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 2 ,3 स्वय उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 9 केएनएन के प0न0 333/379(15) के किला न0 15 प0न0 334/379(16) के किला न0 6 से 9 ,11 से 15 कुल 2.5304हैक् भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसमें वादीया का नाम गुडडी दर्ज है।

वादिया पूर्व में गांव फेफाना में निवास करती थी जहाँ उसे गुडडी के नाम से पुकारते थे बडी होने पर वादिया की शादि हो गई शादि के बाद सुसराल वालों ने वादिया का नाम सावित्री रख दिया और समस्त कागजातों में सावित्री नाम अंकित हो गया।

वादिया के समस्त दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड , पहचान पत्र , राशन कार्ड , आदि में वादिया का नाम सावित्री दर्ज है।

वादिया के पिता का देहान्त होने पर मेरे व भाईयों व बहन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम विरास्तन नामान्तकरण दर्ज हुआ तो राजस्व रिकार्ड में गुडडी दर्ज हो गया जबकि अन्य दस्तावेजात में वादिया का नाम सावित्री दर्ज है वादीया का राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादिया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 9 केएनएन के प0न0 333/379(15) के किला न0 15 प0न0 334/379(16) के किला न0 6 से 9 ,11 से 15 कुल 2.



5304हैक में वादीया का नाम गुडडी दर्ज है के स्थान पर सावित्रीदेवी उर्फ गुडडी संशोधन किये जाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 9 केएनएन के प0न0 333/379(15) के किला न0 15 प0न0 334/379(16) के किला न0 6 से 9 ,11 से 15 कुल 2.5304हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादीया का नाम गुडडी पुत्री रामप्रताप दर्ज है।

वादीया का कथन है कि उसे घर पर गुडडी नाम से पुकारतें थे शादि होने के बाद ससुराल वालों ने सावित्री नाम रख दिया वादीया राजस्व रिकार्ड में सावित्री उर्फ गडडी दर्ज करवाना चाहती है।


वादीया ने अपने कथनों के समर्थन में आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र आदि पेश किये जिसमें वादीया का नाम सावित्री दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा ने भी प्रमाण पत्र पेश किया की वादीया को व्यक्तिगत रूप से जानता हु जिसकी शादि कान्हावाल में हुई है जिसे सावित्री एवं गुडडी दोनो नामों से जाना जाता है।

वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादीया का नाम ससुराल में सावित्री है एवं राजस्व रिकार्ड में विरास्तन से गुडडी दर्ज हुआ है दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है वादीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सावित्री उर्फ गडडी पुत्री रामप्रताप संशोधन करवाने की अधिकारी है।

वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों के हिस्सा में किसी प्रकार का परिवर्तन नही होता है साथ ही सहखातेदारों ने वादीया के वाद को स्वीकार कर ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है एवं वादीया ने भी अपने नाम के सम्बध में शपथ पत्र पेश किया जा चुका है वादीया के नाम संशोधन से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है

वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के प0न0 333/379(15) के किला न0 15 प0न0 334/379(16) के किला न0 6 से 9 ,11 से 15 कुल 2.5304हैक में वादीया का नाम गुडडी पुत्री रामप्रताप दर्ज है के स्थान पर सावित्रीदेवी उर्फ गुडडी पुत्री रामप्रताप संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सावित्री देवी उर्फ गुडडी पुत्री रामप्रताप पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना हाल निवासी कान्हेवाला वार्ड संख्या 5 तहसील व जिला मानसा ।

वादी

बनाम

- 1 ओमप्रकाश 2. पप्पू पि0 रामप्रताप जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
- 3 जमना पुत्री रामप्रताप पत्नी अमरसिंह जाति जाट साकिन कान्हेवाला तह. मानसा प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 533 सन 2019 निर्णय दिनांक- /3/3/20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के प0न0 333/379(15) के किला न0 15 प0न0 334/379(16) के किला न0 6 से 9 ,11 से 15 कुल 2.5304हैक् में वादीया का नाम गुडडी पुत्री रामप्रताप दर्ज है के स्थान पर सावित्रीदेवी उर्फ गुडडी पुत्री रामप्रताप संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक /3/3/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)